



प्रेस नोट दिनांक 03.11.2025 जनपद फतेहपुर

थाना खखरेरू पुलिस द्वारा कनपुरवा विद्युत उपकेन्द्र से चोरी करने वाले 02 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से सरकारी तार, क्लैम्प, डिस्ट्रीब्यूटर बाक्स एवं घटना में प्रयुक्त वाहन डीसीएम को किया बरामद।

संक्षिप्त विवरण:- पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अनूप कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी व अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना खखरेरू पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.11.2025 को मु0अ0सं0-251/2025 धारा 303(2), 217(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. शिवम सिंह पुत्र मुन्ना सिंह निवासी ग्राम महिपत सिंह का पुरवा, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा उम्र करीब 25 वर्ष, 02. दीनानाथ यादव पुत्र रामधीरज निवासी ग्राम करौदी थाना मनकापुर जनपद गोण्डा उम्र करीब 37 वर्ष को गिरफ्तार कर कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता -

1. शिवम सिंह पुत्र मुन्ना सिंह निवासी ग्राम महिपत सिंह का पुरवा, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा उम्र करीब 25 वर्ष।
2. दीनानाथ यादव पुत्र रामधीरज यादव निवासी ग्राम करौदी थाना मनकापुर जनपद गोण्डा उम्र करीब 37 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

1. 06 अदद डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स
2. करीब 02 कुटल लोहे का क्लैम्प
3. करीब 01 कुटल लोहे का जी०आई० सरकारी तार
4. घटना में प्रयुक्त एक अदद ट्रक डीसीएम वाहन नंबर PB10KC0452.

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवम सिंह -

1. मु0अ0सं0-023/2023 धारा 323, 504, 506 भा०दं० सं० थाना कोतवाली देहात जिला गोण्डा,
2. मु०अ०सं०- 097/2023 धारा 147, 148, 307, 323, 324, 325, 34, 504, 506 भा०द०वि० थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।
3. मु0अ0सं0-251/2025 धारा 303 (2), 317 (2) बी०एन०एस० थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीनानाथ -

1. मु0अ0सं0- 128/2021 धारा 323, 325, 504 भादवि व 3 (1)द, 3 (1) ध. 3 (2) Va एससी/एसटी एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0-251/2025 धारा 303(2), 317 (2) बी०एन०एस० थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. थानाध्यक्ष विद्या प्रकाश सिंह थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर।
2. व0उ0नि0 श्याम सुन्दर गिरि
3. उ0नि0 बुद्धिमान सिंह
4. हे0का0 चन्द्रभान सिंह
5. का0 रामबालक